



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 29, 2012/चैत्र 9, 1934

No. 76]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2012/CHAITRA 9, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

सं. एल-1/44/2010-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा हानियों की भागीदारी) विनियम, 2010 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभागों तथा हानियों की हिस्सेदारी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड के उप-खंड (ग) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“उत्पादन यूनिट की अतिभार क्षमता का उपयोग अनुमोदित इंजेक्शन की संगणना के लिए नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां सीटीयू द्वारा दीर्घ-कालिक पहुंच (एलटीए) प्रदान की गई हो, वहां एलटीए आंकड़े, तथा जहां सीटीयू द्वारा दीर्घ-कालिक पहुंच प्रदान नहीं की गई हो, वहां उत्पादन यूनिट की संस्थापित क्षमता सहायक खपत को छोड़कर, अनुमोदित इंजेक्शन की संगणना के प्रयोजन के लिए ली जाएगी।”

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (च) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि उस उत्पादन यूनिट की, जिसमें डीआईसी का आबंटन हो या जिसके साथ उसने संविदा पर हस्ताक्षर किये हों, अधिक भार क्षमता का उपयोग दीर्घ-कालिक पहुंच (एलटीए) के अधीन अनुमोदित निकासी की संगणना के लिए नहीं किया जाएगा।”

- (3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (द) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(द) 'कार्यान्वयन अभिकरण (आईए)' से इन विनियमों के अधीन आज्ञापक अन्य कृत्यों या जो आयोग द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किय जाएं, के साथ-साथ आवेदन अवधि के लिए विभिन्न नोडों/जोनों पर पारेषण प्रभारों तथा पारेषण हानियों के आबंटन की संगणना करने के लिए आयोग द्वारा पदाभिहित अभिकरण अभिप्रेत है।"

- (4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (म) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(म) 'वार्षिक पारेषण प्रभार (वाईटीसी)' से अधिनियम की धारा 62 के अधीन समुचित आयोग द्वारा अवधारित या अधिनियम की धारा 63 के अधीन समुचित आयोग द्वारा स्वीकार किया गया या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, समझे गये आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों, दो राज्यों से जुड़ी अंतर-राज्यिक पारेषण लाइनों के स्वामियों और अंतर-राज्यिक ऊर्जा पारेषण के लिए प्रादेशिक ऊर्जा समितियों द्वारा प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के स्वामियों के विद्यमान तथा नई पारेषण आस्तियों के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार अभिप्रेत है।"

### 3. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:

- (1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (झ) में, "प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 वर्ष से अन्यून " शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"विनियम के खंड (1) के उपखंड (ठ) के प्रथम परंतुक के अनुसार, वाईटीसी के पुनरीक्षण से तीन मास पूर्व।"

- (2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ठ) के प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

" परंतु यह और कि वर्ष 2013-14 के लिए इंजेक्शन और मांग पीओसी प्रभारों के लिए तीन स्लैब दरें होंगी जिसके पश्चात वर्ष 2014-15 में आयोग द्वारा पुनर्विलोकन के आधार पर उनको सुव्यवस्थित किया जाएगा।"

- (3) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ण) के प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

" इस विनियम के खंड (1) के उपखंड (ठ) के परंतुक के अनुसार, जब कभी वाईटीसी का पुनरीक्षण किया जाता है, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा भार प्रवाह अध्ययन किया जाएगा।"

(4) मूल विनियम के विनियम 7 के उपखंड (1) के खंड (न) के प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कार्यान्वयन अभिकरण, ₹/मेगावाट/मास में एक समान जोनल दर को तय करने की दृष्टि से, राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर जोनों को सृजित करने के लिए आईएसटीएस पर भौगोलिक रूप से और विद्युत रूप से संसक्त नोडों के लिए प्वाइंट ऑफ कनेक्शन प्रभारों को संकलित करेगा। कार्यान्वयन अभिकरण उत्पादन और मांग के लिए जोन सृजित करेगा। ऐसे जोन निम्नलिखित पर विचार करते हुए शासित होंगे:"

(5) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (न) के अधीन पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"जोनों के भीतर नोडों को ऐसी रीति से मिलाया जाएगा मानो वे भौगोलिक रूप से तथा विद्युत रूप से समीपस्थ हों। मांग जोन राज्य की भौगोलिक सीमा में होंगे।"

(6) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (न) के अधीन, पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) 400 कि.बो. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से सीधे जुड़े किसी भी अंतर-राज्यिक उत्पादन केंद्र को पृथक् जोन के रूप में माना जाएगा और पीओसी इंजेक्शन दर की संगणना के प्रयोजन के लिए, क्षेत्र में अन्य उत्पादक नोडों के साथ नहीं मिलाया जाएगा:

परंतु यह कि 400 कि.बो. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़े राज्य में मर्चेट ऊर्जा संयंत्र की दशा में, शून्य एलटीए या सीटीयू द्वारा प्रदत्त एलटीए के साथ संपूर्ण मर्चेट क्षमता प्लस सीटीयू द्वारा प्रदत्त एलटीए पर पीओसी इंजेक्शन दर तय करने के लिए विचार किया जाएगा।"

(7) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (न) के पैरा (v) का लोप किया जाएगा।

(8) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ध) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि वर्ष 2011-12 के लिए या ऐसी अवधि, जो अयोग समुचित समझे, के लिए प्रतिशतता में पारेषण हानियों हेतु स्लैब होंगे।"

(9) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ढ) और उपखंड (ण) में आने वाले "प्रभारों" शब्द के स्थान पर "दरें" शब्द रखा जाएगा।

(10) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (त) में आने वाले "उपाबंध-1" शब्दों के स्थान पर "उपाबंध" शब्द रखा जाएगा।

#### 4. मूल विनियम के विनियम 10 का संशोधन:-

(1) मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (1) के अंतिम दो पैराओं के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"विनियम 10 (1) (क), 10 (1) (ख) और 10 (1) (ग) के आधार पर, आरपीसी सभी पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों, सीटीयू और अन्य आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूर्व मास हेतु प्रादेशिक ऊर्जा लेखा को जारी करने के अगले कार्य दिवस पर प्रादेशिक पारेषण लेखा जारी करेगा तथा उन्हें अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

विनियम 10 ((1) (घ) के आधार पर, आरपीसी सभी पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों, सीटीयू और अन्य आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूर्व मास हेतु प्रत्येक मास के 15वें दिन तक प्रादेशिक पारेषण विचलन लेखा जारी करेगा तथा उसे संबंधित आरपीसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

5. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन- मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (4), खंड (5) और खंड (7) के अधीन संगणना सूत्र में आने वाले "प्रभार" शब्द के स्थान पर, "दर" शब्द रखा जाएगा।

#### 6. मूल विनियम के उपाबंध का संशोधन:

(1) मूल विनियम के उपाबंध में "स्विच शंट आंकड़ा" शीर्ष के अधीन पैरा 2.1.2 (छ) के उप-पैराओं के स्थान पर एक नया उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2.1.3 वार्षिक पारेषण प्रभार":

(2) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.7 के उप-पैरा 2 के अधीन स्टेप-4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

" स्टेप-4: तालचर-कोलार एचवीडीसी पारेषण लिंक के संपूर्ण वाईटीसी का वहन दक्षिणी क्षेत्र के डीआईसीएस द्वारा अपने पीओसी प्रभारों के स्केलिंग अप करके किया जाएगा। तथापि, ओडिशा राज्य के लिए तालचर-II स्टेशन से आबंटित शेयर हेतु पीओसी इंजेक्शन दर नई ग्रिड में हिस्सेदारी तंत्र के अनुसार तालचर-I स्टेशन की पीओसी इंजेक्शन दर होगी:

परंतु यह कि संपूर्ण देश के समक्रमिक रूप से जुड़ने के पश्चात, सभी एचवीडीसी प्रणालियों की लागत का वहन एचवीडीसी की लागत को सम्मिलित किये बिना संगणित वाईटीसी की स्केलिंग-अप करके, देश में सभी डीआईसीएस द्वारा किया जाएगा।"

(3) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.7 के उप-पैरा 8 में, "प्रभारों" शब्द के स्थान पर "दरें" शब्द रखे जाएंगे।

(4) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.7 के अंत में, निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"12. वर्ष 2011-12 या ऐसी अवधि, जो आयोग समुचित समझे, के लिए नये ग्रिड और दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में प्रतिशतता पारेषण हानियों के लिए स्लैब होंगे।"

(5) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.8 और पैरा 2.8.1 में "प्रभार शब्द के स्थान पर "दर" शब्द रखा जाएगा:

(6) मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.8.1 के अधीन सारणी को निम्नानुसार उपांतरित किया जाएगा, अर्थात्:

विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों में जेडजेड जोन की संगणना

	पारेषण प्रभार (₹/मास)	अनुमोदित इंजेक्शन/अनुमोदित निकासी * (मेगावाट)	जोनल पारेषण दर (₹/मेगावाट/मास)
पीपी	45,00,000	250	70,000
एए	50,00,000		
केके	80,00,000		
जेड जेड-जोन	1,75,00,000	250	

\* अनुमोदित इंजेक्शन/अनुमोदित निकासी (मेगावाट) सीईए उत्पादन और मांग आंकड़ा के आधार पर औसत परिप्रेक्ष्य के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच होगी। अन्यथा, मूल विनियम के विनियम 7 (1) (ण) में उल्लिखित परिप्रेक्ष्यों के लिए, यह अनुमोदित इंजेक्शन/अनुमोदित निकासी होगी।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असल/150/11]

टिप्पण.—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 के क्रम सं. 162 में तारीख 16 जून, 2010 को प्रकाशित किए गए थे और मूल विनियमों के प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 के क्रम सं. 229 में तारीख 25 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित किए गए थे।

11 27 45112-2

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2012

**No. L-1/44/2010-CERC.**—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely :—

**1. Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) (Second Amendment) Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment to Regulation 2 of Principal Regulations:**

(1) The following proviso shall be inserted under sub-clause (c) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations:

"Provided that the overload capability of a generating unit shall not be used for calculating the approved injection:

Provided further that where long term access (LTA) has been granted by the CTU, the LTA figure, and where long term access has not been granted by the CTU, the installed capacity of the generating unit excluding the auxiliary consumption, shall be considered for the purpose of computation of approved injection."

(2) The following proviso shall be inserted under sub-clause (f) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations:

"Provided that the overload capability of a generating unit in which the DIC has an allocation or with which it has signed a contract, shall not be used for calculating the approved withdrawal under long term access (LTA)."

(3) Sub-clause (n) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(n) 'Implementing Agency (IA)' means the agency designated by the Commission to undertake the computation of allocation of transmission charges and transmission losses at various nodes/zones for the Application Period along with other functions mandated under these regulations or as may be assigned by the Commission from time to time."

(4) Sub-clause (y) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(y) 'Yearly Transmission Charge (YTC)' means the Annual Transmission Charges for the existing and new transmission assets of the inter-State transmission licensees, deemed ISTS Licensees, owners of inter-State transmission lines connecting two States and owners of non-ISTS lines certified by Regional Power Committees for inter-State transmission of power, determined by the Appropriate Commission under section 62 of the Act or adopted by the Appropriate Commission under section 63 of the Act or as otherwise provided in these Regulations".

### 3. Amendment to Regulation 7 of Principal Regulations:

(1) In sub-clause (i) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations, the words "not later than 15th of December in each financial year", shall be substituted as under, namely:

"three months before the revision of the YTC in accordance with first proviso to sub-clause (i) of clause (1) of this regulation".

(2) The following proviso shall be added after the first proviso to sub-clause (l) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations, namely:

"Provided further that there shall be three slab rates for injection and demand PoC charges for the year upto 2013-14, after which the same shall be rationalized in the year 2014-15 based on a review by the Commission."

(3) The following proviso shall be added after the first proviso to sub-clause (o) of Clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations as under, namely:

"Provided further that the load flow studies shall be carried out by the Implementing Agency as and when the YTC is revised in accordance with proviso to sub-clause (l) of Clause (1) of this regulation."

(4) The opening para of sub-clause (t) of Clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations may be substituted as under, namely:

"The Implementing Agency shall aggregate Point of Connection charges for the geographically and electrically contiguous nodes on the ISTS to create zones within the geographical boundary of the State, in order to arrive at uniform zonal rate in /MW/ month. The Implementing Agency shall create zones for generation and demand. Such zoning shall be governed by the following considerations:"

(5) Para (ii) under sub-clause (t) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"The nodes within zones shall be combined in a manner such that they are geographically and electrically proximate. The demand zones shall be the geographical boundary of the State."

(6) Para (iv) under sub-clause (t) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(iv) Any inter-State Generating Station directly connected to the 400 kV inter-State Transmission System shall be treated as a separate zone and shall not be clubbed with other generator nodes in the area, for the purpose of calculation of PoC injection rate:

Provided that in case of a merchant power plant in a State connected to the 400 kV inter-State Transmission System, with zero LTA or LTA granted by the



CTU, the entire merchant capacity plus the LTA granted by the CTU shall be considered to arrive at the PoC injection rate."

(7) Para (v) of sub-clause (t) of clause (1) of Regulation 7 of the principal regulations shall stand deleted.

(8) The following provisions may be added at the end of sub-clause (s) of Clause (1) of Regulation 7 of the principal regulations:

"Provided that there shall be slabs for transmission losses in percentage for the year 2011-12 or for such period the Commission may consider appropriate."

(9) The word "charges" shall be replaced by the word "rates" in sub-clauses (n) and (o) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations.

(10) The words "Annexure-I" appearing in sub-clause (p) of clause (1) of Regulation 7 of Principal Regulation shall be substituted with the word "Annexure".

#### 4. Amendment to Regulation 10 Principal Regulations:

(1) Last two paras of clause (1) of Regulation 10 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"RPCs shall, based on Regulation 10 (1) (a), 10 (1) (b) and 10 (1) (c), issue Regional Transmission Accounts on the next working day of the issue of Regional Energy Account for the previous month, to all the Designated ISTS Customers, CTU and other ISTS Transmission Licensees and display the same on its web site.

RPCs shall, based on Regulation 10 (1) (d), issue Regional Transmission Deviation Accounts by 15<sup>th</sup> of every month for the previous month to all Designated ISTS Customers, CTU and other ISTS Transmission Licensees and display the same on the website of the respective RPCs."

1127 (4E) 12-3

5. **Amendment to Regulation 11 of Principal Regulations:** The word 'charge' appearing in the computation formulae under clauses (4), (5) and (7) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted with the word 'rates'.

6. **Amendment to Annexure of the Principal Regulations:**

(1) In the Annexure to the Principal Regulations, sub-paras of para 2.1.2 (g) under the heading 'Switch Shunt Data' shall be placed under a new para as under, namely:

"2.1.3 YEARLY TRANSMISSION CHARGES":

(2) Step 4 under sub-para 2 of Para 2.7 of Annexure to the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Step 4: The entire YTC of the Talcher - Kolar HVDC transmission link shall be borne by the DICs of the Southern Region by scaling up their PoC charges. However, the PoC injection rate for the allocated share from Talcher – II station to the State of Odisha shall be the PoC injection rate of Talcher – I station as per Sharing Mechanism in the NEW grid.

Provided that after the entire country is synchronously connected, the cost of all the HVDC systems shall be borne by all the DICs in the country by scaling up the YTC calculated without including the HVDC costs."

(3) In sub-para 8 of Para 2.7 of Annexure to the Principal Regulations, the word "charges" shall be substituted by the word "rates".

(4) A new sub-para shall be added at the end of Para 2.7 of Annexure to the Principal Regulations:

"12. There shall be slabs for the percentage transmission losses in the NEW grid and SR grid for the year 2011-12 or till such period the Commission may consider appropriate."

(5) In para 2.8 and para 2.8.1 of Annexure to the Principal Regulations, the word "charge" shall be replaced by the word "rate".

(6) The table under para 2.8.1 of Annexure to the Principal Regulations shall be modified as under:

**ZZ zone computation in a particular scenario:**

	Transmission Charge (₹/month)	Approved Injection/ Approved withdrawal*(MW)	Zonal Transmission Rate (₹/MW/month)
PP	45,00,000	250	70,000
AA	50,00,000		
KK	80,00,000		
<b>ZZ - Zone</b>	<b>1,75,00,000</b>	<b>250</b>	

\* Approved Injection/ Approved withdrawal (MW) shall be the Long-term Access for the average scenario based on the CEA generation and demand data. Otherwise, for the scenarios mentioned in Regulation 7 (1) (o) of the Principal Regulations, it shall be the Approved Injection/ Approved withdrawal.

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/Exty/150/11]

**Note :** The Principal Regulations were published on 16<sup>th</sup> June 2010 in the Gazette of India Extraordinary Part III-Section 4 at Serial No. 162. The first amendment to the Principal Regulations was issued on 25<sup>th</sup> November 2011 in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4 at Serial No. 229.